

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(6)न्याय/2022

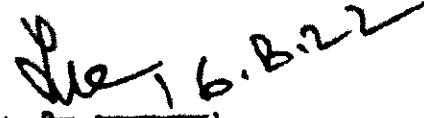
जयपुर दिनांक 17 AUG 2022

::अधिसूचना::

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, व्यायर (जिला अजमेर), अलवर, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमन्द एवं सीकर मुख्यालयों पर स्थापित समस्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों को पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 (सन् 1881 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 26) के अन्तर्गत प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय घोषित करती है।

नोट:- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,


(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/19/2022/.....1298

Date: 23/8/2022

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned Chief Judicial Magistrates.
4. Concerned Courts.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ S.C. Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Computer Cell (for uploading the same on high court website) Rajasthan High Court, Jodhpur.


23/8/2022

REGISTRAR (RULES)